प्रेस नोट 10.09.2020

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज तमंचा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.09.20 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान करीमुद्दीनपुर के पास से एक जिला बदर अपराधी मु0 आरिफ पुत्र मूमताज निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 755/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम तथा 756/20 धारा 10 जी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक अवैध तमंचा के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.09.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा रामपुर चकिया के पास से जमीन अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी पठानटोला थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

170 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 05 गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा नयादौर के पास से मुमताज अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 40 लीटर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रविप्रकाश पुत्र भूपेन्द्र निवासी कुर्थिजाफरपुर थाना कोपागंज के कब्जे से 40 लीटर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा परवेश साहनी पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी मनिक ताहिरपुर थाना कोतवाली के कब्जे से 10 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रामचिर पुत्र सिकरन निवासी सिसवा, छोटेलाल पुत्र श्रीकिसुन निवासी मीरपुर थाना मधुबन दोनों के कब्जे से 20–20 लीटर, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा रसूलपुर मोर्चा से संजय पुत्र पांचू यादव निवासी रसूलपुर मोर्चा थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा पहसा के पास से मु0अ0सं0 281/20 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र दीना निवासी ख रूआव नगरा जनपद बलिया, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 493/20 धारा 354,452,504 भादवि0 में वांछित अभिुक्त दीपक पुत्र त्रिदेवनाथ निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 26 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 10.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा बेचन, कैलाश निवासीगण अमिला थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा सनोज, निलकमल निवासीगण छिछोर, सुरेश निवासी सिकरिया थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा सुभाष, छोटक, शैलेश कल्लू, धर्मेन्द्र निवासीगण कर्थिजाफरपुर, विजय कुमार, जयप्रकाश निवासीगण पिपरउथ, अनिल, राजनाथ निवासी कुलसेतपुर थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मृत्युंजय निवासी बहरीपुर थाना सरायलखंसी, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा विनोद निवासीगण नयीबस्ती, अमरजीत, रवि निवासीगण प्यारेपुर थाना मुधबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा राजेश, इन्द्रदेव निवासीगण चकतिलावन थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा तपेश्वर, नन्दलाल, रामबदन निवासीगण गडरौली, प्रदीप, अरविन्द निवासी चादमारी

इमिलिया, अजय निवासीगण अछार थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।